भूमि की आवश्यकता है तो प्रतिरक्षा विभाग के लिय भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अड़ंगा नहीं डाल सकता है, उस जमीन पर मकान का अधिग्रहण स्थायी रूप से कर लिया जाय, लेकिन उस को इस तरह से अधर में न रखा जाय। यह बात आर्थिक दृष्टि से भी ज्यादा अच्छी होगी। दूसरी बात—यदि आप के पास कोई जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, उस पर आप को कोई काम नहीं है तो आप उस को हरिजनों और अनुसूचित जातियों को बीस-गुना किराया लेकर नहीं, बल्कि सामान्य रूप से दे कर उन को सैटिल कर दें।

मैं केवल इन्हीं दो बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इस बिल का समर्थन मैं इस लिये करता हूं कि अगली बार वे फिर इस को जिन्दा नहीं करेंगे और जो एमर्जेंसी की चीजें है उस को एमर्जेंसी तक ही रखेंगे।

श्री सिकन्दर बख्त : सभापति जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं—सम्मानीय सदस्य ने इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन उनकी इत्तिला के लिये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मिनिस्टर आफ़ स्टेट फार डिफेंस इस वक्त यहां मौजूद हैं। अगर वह मौजूद न होते तो जो कुछ माननीय सदस्य ने फरमाया है, वे बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश करता।

जहां तक हरिजनों की बात है—यह कम से कम इस बिल के परव्यू के बाहर की बात है। इम्मूवेबिल प्रापर्टीज सिर्फ पब्लिक परपज के लिये ली जाती है। दूसरे उस मकसद के लिए वह जरूरत अगर बाकी नहीं रही, तो वह प्रोपर्टी रिलीज हो जाती है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इस बिल के मातहत जमीन को रोकना मुमकिन नहीं है। यही मुझे अर्ज करना था।

MR. CHAIRMAN : Now, the question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.28 hrs

BETWA RIVER BOARD (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH). Sir, I beg to *move :

"That the Bill to amend the Betwa River Board Act, 1976, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

यह जो विधेयक प्रस्तुत है वह एक मामूली सा विधेयक है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र से गुजरती है और उस क्षेत्र से गुजरती है जो ड्राट प्रोन इलाका कहलाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने मिल कर यह निश्चय किया कि राजघाट में एक बांध बना कर इसके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जायेगा। उस समय केवल सिंचाई के लिए यह योजना बनी थी। बाद में दोनों राज्य सरकारों ने मिल कर यह निश्चय किया कि जो बांध बनेगा, जो पानी इकट्ठा होगा, उसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जायेगा और जैसे पानी के बटवारे के लिए सहमति हो गई थी, उसी प्रकार से बिजली के बटवारे के लिए भी दोनों राज्य सरकारों में सहमति हो गई है। अब क्योंकि बिजली बनने की बात है, इसलिए कुछ संशोधन पुराने एक्ट में लाये जा रहे हैं जिनमें बिजली का यह काम भी कवर हो सके।

बोर्ड के गठन में केन्द्रीय सरकार के बिजली मंत्री या उनके कोई नामीनी और राज्य सरकारों के बिजली मंत्रियों को बोर्ड

*Moved with the recommendation of the president.

[श्री भानु प्रताप सिंह]

में शामिल किये जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

दूसरा संशोधन, जोकि महत्वपूर्ण कहा जा सकता है. यह है कि फाइनेन्शियल एडवाइजर अगर राज्य में न उपलब्ध हो, तो केन्द्रीय सरकार उन दोनों राज्यों के परामर्श से केन्द्र से किसी को भेज सकती है।

इसके अतिरिक्त एक शाब्दिक संशोधन यह है कि जहां-जहां केवल डैम की बात आई है, वहां बिजली का उत्पादन करने की बात भी कही गई है।

बस इस बिल में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। बाद में जो प्रश्न उठेंगे, उनका मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : सभापति महोदय, अभी-अभी जो बिल हमारे समक्ष रखा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में जो राजघाट नाम से बांध बनाया गया है, उसका उपयोग न केवल सिंचाई के लिए किया जाये बल्कि उससे बिजली भी बनाई जा सकती है और ऐसा करना अच्छा रहेगा। इस ओर सरकार का ध्यान गया है, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं।

अब मैं इस बिल की कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे कुछ इस बात का दुःख हुआ कि माननीय मंत्री जी ने मेरे संशोधन को देखा होगा लेकिन उस पर उन्होंने अपनी राय स्पष्ट नहीं की। यह सही है कि पावर हाऊस के लगाने की व्यवस्था हो, इसलिए इस बिल में संशोधन लाया गया है और दूसरा संशोधन जो माननीय मंत्री जी ने महत्वपूर्ण बताया है, वह यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जो अधिकारी हों, उन्हीं में से इस बोर्ड में कार्य करने का चयन करना है लेकिन सम्भव है कि कोई फाइनेन्शियल एडवाइजर अच्छा न मिले जोकि मध्य प्रदेश सरकार के अन्तर्गत हो या यू० पी० सरकार के अन्तर्गत हो तो उसके लिए संशोधन दिया है। ये संशोधन ठीक है कि यहां केन्द्र से फाइनेंशियल एडवाइजर लिया जा सकता है, जो कि योग्य हो उसे ले लिया जाये। लेकिन मैं कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। विगत कांग्रेस सरकार में इस संशोधन विधेयक को न रखने के सम्बन्ध में जो भूलें हुई हैं मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्रीमन्, यह बोर्ड गठित किया जाएगा जिसका नाम बेतवा रिवर बोर्ड होगा। वही उस प्रोजेक्ट का संचालन करेगा। इस बोर्ड के सम्बन्ध में पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की हुई है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र से जो भी प्रतिनिधि आते हैं उनके समावेश की इस संशोधन के द्वारा इस बोर्ड में व्यवस्था हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष यहां के, अर्थात् केन्द्र के सिंचाई मंत्री होंगे। इस बांध के सम्बन्ध में उस समय सिंचाई की ही बात थी। केवल सिंचाई के लिए इस बांध का निर्माण किया जा रहा था। इसलिए इस बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए सिंचाई मंत्री जी को अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था की गयी। लेकिन अब चूंकि वहां पावर हाऊस भी बनाया जा रहा है तो इस बात को देख कर इस बिल में कोई संशोधन नहीं किया गया। मैंने इसी दृष्टि से अपना संशोधन रखा है कि बिजली मंत्री उसके सदस्य होंगे।

जिस बोर्ड का हम गठन करने जा रहे हैं और जिस बांध के लिए हम बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें यह बातें ध्यान में रखनी होंगी। वह दस किलोमीटर

लम्बा बांध बनेगा। 214 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसमें डूबेगी। उत्तर प्रदेश के 26 गांव और मध्य प्रदेश के 22 गांव उसमें डूबेंगे। इतना बड़ा एरिया उसमें डूबने पर करीब-करीब 16 हजार की पापुलेशन वहां विस्थापित होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या वहां से हटायी जायेगी जिससे भयानक समस्याएं पैदा होंगी। मैं नहीं कहता कि सिंचाई मंत्री जो केन्द्र में होंगे वे वहीं के होंगे। आज हमारे सिंचाई मंत्री पंजाब के हैं, ऊर्जा मंत्री दक्षिण भारत के हैं। वे दोनों सक्षम हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मंत्रियों का भी समावेश करने की कोशिश की जाये। क्योंकि वे उस क्षेत्र से आते हैं, वहां के जन प्रतिनिधि हैं और वहां की जनता की आकांक्षाओं का वे अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपना संशोधन रखा है।

साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इस बोर्ड में उन संसद् सदस्यों का भी समावेश किया जाये जो बुन्देलखण्ड क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे भी इस बोर्ड के सदस्य होने चाहिएं। क्योंकि वहां के जन प्रतिनिधि होने से वे वहां की जन भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और वे इस बोर्ड के कुशल संचालन में काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यह सुझाव मैंने इसलिए रखा है कि वहां के विस्थापितों की जगह बदलनी होगी क्योंकि बहुत सारे गांव डूब चुके हैं। मुझे पता है कि वहां जो विस्थापित हुए हैं उनको अभी तक जमीन नहीं मिली है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए ऐसी समस्याओं के सम्बन्ध में वहां के जन प्रतिनिधि काफी सक्षम हो सकते हैं। इसी ख्याल से मैंने अपना संशोधन रखा है। दस किलोमीटर लम्बा यह बांध बनेगा, लाखों आदमी वहां मजदूरी करेंगे। वहां ठेकेदार काम करेंगे, इंजीनियर्स काम करेंगे। आप जानते हैं कि मजदूर लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं। उन्हें दो-दो महीने तक मजदूरी नहीं मिलती है। मैं यहां दिल्ली में देखता हूं कि बहुत सारे बाहर से मजदूर काम करने के लिए आये हुए हैं और डी०डी०ए० का काम कर रहे हैं। उन्हें दो-दो महीने का पेमेंट नहीं मिला है। उन लोगों के लिए कई जगहों पर मिलना पड़ा है ताकि उन्हें मजदूरी मिले। बिहार तक से लोग मजदूरी करने के लिये यहां आये हुए हैं। लोग यहां दिल्ली में इस आशा से आते हैं कि यहां मजदूरी मिल जाएगी करने के लिए। डी०डी०ए० के तहत जो ठेकेदारों द्वारा मजदूर रखे जाते हैं उनको वे समय पर मजदूरी नहीं देते हैं और जन-प्रतिनिधियों के बीच में पड़ने पर ऐसा भी हुआ है कि उनको देनी पड़ गई है। अगर जन प्रतिनिधि सहयोग देते हैं तो मैं समझता हूं कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान कराने में वे ज्यादा सक्षम हो सकते हैं।

अब बिजली का उत्पादन भी वहां होगा। सिंचाई करने के लिए बांध बनेगा और नहरें खोदी जायेंगी। अब नहरें कहां-कहां बन सकती हैं इसको इंजीनियर लोग तो देखेंगे ही लेकिन वहां के जन-प्रतिनिधि भी इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कहां पर ये बनें और उससे ज्यादा लाभ हो सकता है। बुन्देलखण्ड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां बहुत ही कम सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। उस क्षेत्र को इस मामले में प्राथमिकता देने की जरूरत है। अब कहां नहर ले जानी चाहिये और कहां से जा सकती है इसके बारे में भी वहां के प्रतिनिधि उस बोर्ड में कारगर सुझाव दे सकते हैं और वे भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं और ज्यादा अच्छा काम वे करवा सकेंगे।

वहां पर बिजली का उत्पादन भी होगा। अभी माताटीला डैम से बिजली उत्पन्न होती है। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की, जहां यह बिजली उत्पन्न होती है, बड़ी भारी उपेक्षा की गई है, जिस इलाके को बिजली के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, जहां बिजली पैदा होती है

[श्री तेज प्रताप सिंह]

उसको बहुत थोड़ी दी गई है, अनुपात में बहुत कम दी गई है। बड़े-बड़े व्यापारियों को बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को दे दी गई है। मुगलसराय तक वहां से बिजली ले आई गई है। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी दूसरी जगह बिजली नहीं जानी चाहिए। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वह फेयर होना चाहिये। अगर वहां के प्रतिनिधि बोर्ड में होंगे तो वे इस बात का प्रावधान कराने की कोशिश करेंगे कि बुन्देलखण्ड के उत्थान के लिए बिजली और पानी समान रूप से वहां भी उपलब्ध किया जाये, सही अनुपात में न्यायोचित रूप में दिया जाये। इंजीनियर आदि लोग इसमें सक्षम नहीं होंगे और इसमें कमी रह सकती है और इस प्रकार की कमी को हम आज भी महसूस कर रहे हैं।

एक संशोधन मैंने बिल्कुल इन्नोसेंट सा दिया है। विधेयक में प्राविजन किया गया है कि जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, कोई भी सरकारी अधिकारी हैं, वे जब चाहें बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और यह एक बहुत अच्छा प्राविजन है। उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से वहां के विधायकों को एम०एल० एज० को भी बोर्ड में आने और सुझाव देने का अवसर दिया जाना चाहिए। वे बोर्ड के सदस्य नहीं होंगे लेकिन सुझाव और संशोधन वे दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपने अधिकारियों के लिए व्यवस्था की है उसी तरह से बुन्देलखण्ड के जो विधायक हैं, असेम्बली के मेम्बर हैं और जो वहां की समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, कहां किस तरह से क्या काम करना चाहिए, इसको ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं और समझते हैं कि किस ढंग से काम किया जाये ताकि ज्यादा तरक्की हो सके, उनको भी बोर्ड में जाने का, बहस में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। यह चीज नजरअंदाज हो गई थी पिछले 1976 के एक्ट में। मैं समझता हूं कि यह बड़ा ही इन्नोसेंट सा संशोधन है और इसको मान लिया जायेगा। इससे बोर्ड की मेम्बरशिप भी नहीं बढ़ती है। जिस तरह से अधिकारी सुझाव दे सकते हैं उसी तरह से विधायक भी दे सकें यह व्यवस्था आपको कर देनी चाहिए ताकि डिसक्रिमिनेशन न हो।

एक आध और कांसिक्वेंशल एमेंडमेंट मैंने दी है। आपने डैफीनीशंज दी हैं। आपने राजघाट डैम की दी है लेकिन राजघाट पावर हाउस का उसमें समावेश नहीं हुआ है। वह भी होना चाहिए था। इसके बारे में मैंने संशोधन दिया है।

इसी तरह से शेड्यूल में राजघाट रिजरवायर का उल्लेख किया गया है लेकिन राजघाट पावर हाउस जो बनेगा उसका डिसक्रिमिनेशन नहीं है, उसको मैंने जोड़ दिया है।

मैं आशा करता हूं कि आप इनकी ओर ध्यान देंगे और जो कंसिक्वेंशल एमेंडमेंट्स हैं जिनका होना अनिवार्य और आवश्यक है, उनको आप समझेंगे और उन्हें स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : सभापति महोदय, कृषि और सिंचाई मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी राजघाट से केवल सिंचाई का ही काम होना था। अब उससे बिजली भी तैयार होगी। इसलिये जरूरी है कि, जो अभी बोर्ड बनाया गया था उसमें विद्युत मंत्री का स्थान नहीं था, उनको उसमें शामिल किया जाय जो कि इस बिल में किया गया है, और केन्द्रीय अधिकारी भी उसमें शामिल कर लिया जाय, यह भी उसमें संशोधन है। मुख्य इतनी बात है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों से मैं बराबर देखता आ रहा हूं कि जब कोई बांध बनता है, कोई नई योजना बनती है तो उसमें पक्षपात होता है, और वह इसलिये

होता रहता है कि जो नीचे की बात जानना जरूरी है कि आखिर सही बात क्या है, उसको नहीं जाना जाता। अब जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को कहा है कि हम कोई बात जनता से छुपा रखना नहीं चाहते हैं। जो जनता की दिक्कतें हैं, उसकी सही भावना है या जिस बात से जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले उसकी ज्यादा से ज्यादा चिन्ता करेंगे, इस बात की घोषणा की है। तो इसी बात को लेकर मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपने जो बोर्ड बनाया, जिसमें मंत्री को लिया, ठीक है। लेकिन अभी तक कागजों को देख कर ही सारी कार्यवाही होती थी, बैठक के समय जो कागज सामने हुए, उनमें कोई कारण या सुझाव हुआ उससे ही सारा काम हो जाता है। लेकिन जैसा कि अभी माननीय तेज प्रताप सिंह ने कहा इसमें जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए जो देखें कि आखिर सरकार जो काम कर रही है उसका जनता पर क्या असर हो रहा है। कहीं कोई बात छूटी तो नहीं है, जनता के हितों के विपरीत तो नहीं जा रही है। वैसे सिंचाई की, बिजली की योजना है, अच्छी बात है इसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन काम किस ढंग से चले इसकी देखभाल वहां के जन-प्रतिनिधि अच्छी तरह से कर सकते हैं। माताटीला बांध बना जिसमें मध्य प्रदेश की काफ़ी जमीन डूबी, लेकिन सिंचाई मध्य प्रदेश को नहीं मिली, बिजली में भी झगड़ा चला। कई बार मध्य प्रदेश की विधान सभा में संघर्ष करना पड़ा तब जा कर मुश्किल से सुविधा मिली। और अभी भी क्या है कि दो तरह का इंतजाम करना पड़ता है। बिजली भी घर में लगी हुई है लेकिन लालटेन भी रखनी पड़ती है क्योंकि 7 बजे रोशनी मिलेगी बिजली की और अंधेरा जल्दी हो जाता है। यह आम शिकायत है। जब हम बिजली का किराया देते हैं तो हमको समय पर रोशनी मिलनी चाहिये। बराबर अधिकारियों से कहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। शहर टीकमगढ़ में मिल जाती है समय पर क्योंकि वहां जिलाधीश रहता है। लेकिन गांव में 7 बजे मिली तो मिली नहीं मिली तो कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों ने सिंचाई के लिये बिजली के पम्प लगाये हुए हैं लेकिन कब बिजली मिलेगी और कितनी देर तक मिलेगी कुछ पता नहीं। जब चाहें बिजली बन्द हो जाती है। अधिकारियों से कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये जो योजनायें बनती हैं उनका वास्तविक लाभ जनता को मिलना चाहिये। अगर कोई शिकायत है तो उसको जल्दी दूर करना चाहिये।

मैंने सुझाव दिया है कि जिस क्षेत्र में इसका पानी सिंचाई के लिये जाना है उस क्षेत्र का संसद सदस्य जरूर इस बोर्ड में रखा जाय। और मैं मानता हूं कि जब हम लोग इस संशोधन का हृदय से समर्थन कर रहे हैं तो सिंचाई मंत्री जी हमारे संशोधन पर अवश्य गौर करें। कोई ज्यादा नहीं है, केवल गुना, खजुराहो, हमीरपुर और झांसी इन चार जगहों के ही संसद सदस्य इसमें रखे जायें। ताकि बोर्ड की बैठक में कोई गलत फ़ैसला न हो जाये, और जनता के प्रतिनिधि वहां सही सलाह दे सकें और जनता की भावना को व्यक्त कर सकें।

जहां तक नहर का सम्बन्ध है, टीकमगढ़ जिले के लिए सर्वे हो चुका है और राजघाट बांध की नहर वहां जानी है। लेकिन मुझे बताया गया है कि टीकमगढ़ जिले में यह नहर नहीं जायेगी। इसका क्या कारण है? कुछ अधिकारियों के साथ इस बारे में जब मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि खर्चा ज्यादा होता है। आखिर टीकमगढ़ जिले के लिए कोई दूसरा बांध तो नहीं बनाया जायेगा। कहा जाता है कि टीकमगढ़ जिले में सिंचाई हो रही है। भारतवर्ष में टीकमगढ़ ऐसा जिला है, जहां पचास हजार कुएं हैं और वहां

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

रहट से सिंचाई होती है। लेकिन उसमें कितनी मेहनत और पैसा लगता है। तीन आदमी लगते हैं और बैल लगते हैं। उस सिंचाई को मान लिया जाता है, तो जो नहर से सिंचाई होती है, क्या उसे सिंचाई नहीं मानना चाहिए? अधिकारी यह दलील देते हैं कि टीकमगढ़ ज़िले में रहट से ज्यादा सिंचाई होती है।

मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह बोर्ड की बैठक में इस प्रश्न को उठायें। अगर टीकमगढ़ ज़िले में नहर नहीं जायेगी, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। अगर टीकमगढ़ ज़िले को राजघाट का पानी न दिया गया, तो वह ठीक बात नहीं होगी, और हम लोग बराबर इसका विरोध करेंगे। जब से जनता को यह बात मालूम हुई है, तब से वह बहुत क्रोध में है।

मैं आशा करता हूं कि मैंने यह जो संशोधन रखा है कि जनता की सही भावना को बोर्ड में पहुंचाने के लिए सम्बद्ध क्षेत्रों के संसद्-सदस्यों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, मंत्री महोदय उसे स्वीकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं। परन्तु मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में कुछ ग़लतफ़हमियां और भ्रम हैं। मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा।

यह कहा गया है कि बोर्ड में जन-प्रतिनिधि होने चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि इस बात की सफ़ाई हो जाये कि बोर्ड का कार्य क्षेत्र क्या होगा, तो फिर जन-प्रतिनिधि इत्यादि की बात शायद नहीं आयेगी। यह बोर्ड केवल इतना काम करेगा कि बांध और बिजलीघर की स्थापना कर देगा। थोड़ी दूर चलने के बाद पानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों का हो जायेगा। जो बिजली बनेगी, वह भी बोर्ड दोनों सरकारों में बांट देगा। फिर किस के खेत की सिंचाई होगी, किस गांव में बिजली लगाई जायेगी, किस ज़िले में पानी और बिजली जायेगी, इसका निर्णय इस बोर्ड के अधिकार में बिलकुल नहीं होगा। बोर्ड तो केवल इस बांध और बिजलीघर की स्थापना करेगा और उसको चलाये रखने की जिम्मेदारी उसकी होगी। उसके बाद जो बिजली और पानी होगा वह राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया जायेगा और उसके वितरण की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बोर्ड में भी रहें जन-प्रतिनिधि तो उसमें किये गये फैसले राज्य सरकार पर लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार पूर्णतया इस बात में स्वतंत्र होगी कि जो उसके हिस्से का बिजली और पानी है उसको अपने-अपने क्षेत्र में किस तरह से वितरित करे। अब जो यह सुझाव आया है कि उसमें एम०एल०ए० और एम०पीज० को भी शामिल कर लिया जाय तो उससे बोर्ड बहुत बड़ा हो जायगा और बड़े बोर्डों से यह देखा गया है कि काम ठीक से नहीं चलता है। इसके अलावा जैसा मैंने निवेदन किया बोर्ड का काम बान्ध और पानी का केवल इंतजाम कर देना है। एक तरह से टेकनिकल और एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड यह है। कोई पालिसी इत्यादि बोर्ड तय करने वाला नहीं है। अगर पालिसी इत्यादि का उसमें निर्णय नहीं होना है तो उसमें जन-प्रतिनिधियों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती।

यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को तो बोर्ड में सम्मिलित होने का अधिकार है और विधायकों को नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ देना चाहता हूं, इसमें उसकी व्यवस्था है :

"The Board may permit any officer of the Central Government, or the Government of Madhya Pradesh or Uttar

Pradesh, to attend any of its meetings and take part in the proceedings, bu such officer shall not be entitled to vote."

तो कोई जरूरी नहीं है और उसको कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से उसके बाद का जो दूसरा क्लाज है उसके अंतर्गत यदि बोर्ड आवश्यकता समझेगा तो विधायकों को, संसद सदस्यों को उसमें बुला सकता है। उसमें यह है :

"The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be decided by regulation, any person whose assistance and advice it may desire in complying with any of the provisions of the Act."

तो कोई भेदभाव की बात नहीं है । जिस प्रकार से सरकारी अधिकारी बुलाए जा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर उसी प्रकार से यदि बोर्ड जरूरत समझेगा तो उन को भी बुला सकता है ।

श्री तेज प्रताप सिंह : यह इजाजत देने या बुलाने का प्रश्न नहीं है । आप जरा गौर से देखें इसमें है बोर्ड में परमिट, मैंने आपको लिखा कि मुझको आज्ञा दे दें आने की तो आप ने दे दी, लेकिन मैंने लिखा तब आपने परमिशन दिया और दूसरा क्लाज जो है जो सारे लोगों के लिए है उसमें है कि दिबोर्ड इटसेल्फ में एसोशिएट, यानी आप ही जिस को चाहे बुला लें । इन दोनों में बड़ा फर्क है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : बोर्ड को अधिकार है कि अफसर को या विधायक को या अन्य व्यक्ति को वह चाहे तो बुला सकता है ।

श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय (बांदा) : स्पेसिफिक मेंशन आफिसर्स के लिए है कि बुला सकता है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : आफिसर जब बुलाया जाता है तो अपने एक्सपर्टाईज के लिए बुलाया जाता है । उस को कुछ विशेष ज्ञान है इसलिए उस को बुलाया जाता है । यदि समझा गया कि किसी विधायक में या संसद सदस्य में इस किस्म की विशेष योग्यता है और उस से परामर्श लेना आवश्यक है तो उसे जरूर बुलाया जायगा । जैसा मैं पहले कह चुका हूं यह एग्जीक्यूटिव बाडी है । उस को एक काम कर देना है। फिर पानी कैसे बंटेगा, बिजली कैसे बंटेगी यह उस के अधिकार की बात नहीं है । वह तो पानी बिजली बना कर दे देगा ।

श्री तेज प्रताप सिंह : वह एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : अब यह भी एक सुझाव रखा गया कि केन्द्रीय सरकार के जो उपमंत्री हों सिंचाई और पावर के और जो उस क्षेत्र के निवासी हों उन को भी उस का सदस्य बनाया जाय । इस को भी मानने में मुझे बहुत बड़ी कठिनाई है क्योंकि सिद्धांत रूप से यह गलत है । एक व्यक्ति जब मिनिस्टर हो जाता है तो वह किसी एक विशेष क्षेत्र का नहीं रह जाता और किसी एक विशेष क्षेत्र के हित को देखना उस का काम नहीं है । इसे एक बार मान लेने के बाद आगे चल कर बहुत काम्प्लीकेशन पैदा हो सकता है । इसलिए इस को भी मानना संभव नहीं है ।

इसमें एक प्रश्न यह उठाया गया कि पावर हाउस की डेफिनीशन होनी चाहिए परन्तु जो अमन्डमेन्ट पेश है उसमें ही एक प्रकार से डेफिनीशन दी जा चुकी है। राजघाट पावर-हाउस की डेफिनीशन देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही लिख दिया गया है : hereinafter referred to as the Rajghat Power House.

उस संशोधन में ही इसकी डेफिनीशन दे दी गई है इसलिए कोई भ्रम होने की सम्भावना नहीं है। राजघाट डैम

[श्री भानु प्रताप सिंह]

से सटा हुआ जो राजघाट पावर हाउस है उसके लिए लिख दिया गया है :

hereinafter referred to as the Rajghat Power Houses.

इसके बाद अलग से कोई परिभाषा देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । जब विधेयक में ही परिभाषा आ गई है तो भ्रम होने की सम्भावना नहीं है ।

मैं समझता हूं मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं इसलिए अब मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने संशोधन वापिस ले लें जिससे यह काम तेजी से हो सके। जितना ही इसमें विलम्ब होगा सिंचाई बिजली मोहैया करने में उतनी ही देरी होगी ।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to amend the Betwa River Board Act, 1976, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

CLAUSE 2 (*Amendment of section* 4)

SHRI LAKMI NARAIN NAYAK : I beg to move:

Page 1,—

after line 16, *insert*—

"(d) the Members of Parliament of the areas proposed to be irrigated by the Rajghat Dam." (1)

SHRI TEJ PRATAP SINGH : I beg to move :

Page 1,—

for lines 8 to 12, *substitute*—

"(a) where the same Union Minister is not in charge of both Irrigation and power, the Union Minister in charge of power and such Ministers or Deputy Ministers in the Union Ministry or Department in charge of Power or Irrigation who are residents of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ;" (3)

Page 1,—

after line 16, *insert* —

"(d) all the members of Parliament residing in the districts of Bundelkhand region of Uttar Pradesh Madhya Pradesh." (4)

Page 1,—

after line 16, *insert*—

'(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) The Board may permit any officer of the Central Government or the Government of Uttar Pradesh or Madhya Pradesh or any State Legislator residing in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh or Madhya Pradesh, to attend any of its meetings and take part in the proceedings but such officer or Legislator shall not be entitled to vote."' (5)

Page 1,—

for lines 14 and 15, *substitute*—

"(c) the Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in Charge of Finance, Irrigation and Power and also Ministers and Deputy Ministers of the aforesaid two States residing in Bundelkhand region (Jhansi, Jalaun, Hamirpur, Banda, Lalitpur, Tikamgarh, Chattarpur, Dhatia and Panna Districts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh)."(8)

MR. CHAIRMAN : I put amendment No. 1 to the House.

Amendment no. 1 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I put amendment Nos. 3, 4 and 5 to the House.

Amendments nos. 3, 4 and 5 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I put amendment No. 8 to the House.

Amendment no. 8 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 (Amendment on Section 10)

SHRI TEJ PRATAP SINGH : I beg to move:

Page 2,—

after line 10, *insert*—

"(c) in clause (*e*), after the words "Rajghat Dam" the words "and the Rajghat Power House" shall be inserted. (6)

MR. CHAIRMAN : I put amendment 6 to the House.

Amendment No. 6 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That Clauses 5 to 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : There is Amendment No. 7—Clause 8 (New) — in the name of Shri Tej Pratap Singh. Is he moving?

No. There is also Amendment No. 2—Clause 1A (New) in his name.

He is not moving.

The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो): माननीय सभापति जी, ग्रभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि बोर्ड का काम केवल इतना ही है कि जो बांध बनेगा, उस की रूप रेखा बना दें कि कितनी लागत में बनेगा। जहां तक मैं समझता हूं—बोर्ड यह भी तो तय करेगा कि बांध कितना बनेगा, कितनी लागत होगी ग्रौर कहां तक उस की नहरें जायेंगी, किन-किन जिलों में नहरें जायेंगी, मेन-नहर कहां जायेगी—ये सब बातें बोर्ड तय करेगा, तभी उस का सही एस्टीमेट बन सकता है। मैं चाहता हूं कि बोर्ड जब इन बातों को तय करे, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे टीकमगढ़ जिले को छोड़ दिया जाय, जैसाकि ग्राज कल कुछ सुनने में ग्रा रहा है। मैं इस ग्रवसर पर मंत्री महोदय से ग्राश्वासन चाहता हूं कि इतने बड़े जिले को छोड़ा नहीं जायगा। ग्राप संसद सदस्यों को इस में रखें या न रखें, हालांकि मैं चाहता हूं कि उन को रखा जाय, ग्राप इस बात को नहीं चाहते हैं—मैं नहीं समझता कि इस में ऐसी क्या दिक्कत है कि संसद सदस्य उस में जा सकें ग्रौर ग्रपनी राय वहां दे सकें,— मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि उस में कोई पक्षपात न हो, हमारा टीकमगढ़ जिला छोड़ न दिया जाय।

मैं चाहता हूं कि ग्राप सब बातों पर गौर करते हुए इस बात का ग्राश्वासन जरूर दें कि जो सर्वे हो चुका है, उस को छोड़ा नहीं जायगा।

श्री ग्रम्बिका प्रसाद पांडे (बांदा) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ग्रोर ग्राकर्षित करता हूं कि बोर्ड कोई पालिसी तय नहीं करेगा कि पानी का बटवारा या जो पावर पैदा होगी, उस का बटवारा कैसे होगा। ग्रभी तक जब कि वहां पर कोई डैम नहीं बना था, पावर स्टेशन नहीं बना था, केवल नदियों के बारे में, डैम बनाने के बारे में दो राज्यों के बीच में झगड़ा

[श्री अम्बिका प्रसाद पांडे]

पैदा हो गया था। इसलिये अगर यह चीज भी तय नहीं होगी तो फिर उन के बीच में झगड़ा शुरू हो जायगा। इस लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस में संसद सदस्यों, एम० एल एज़० तथा उस क्षेत्र से आने वाले सभी मंत्री गणों को भी उस में शामिल किया जाय और इस तरह के झगड़ों का वहीं बोर्ड में निबटारा करवाने की कृपा करें। बुन्देलखण्ड एरिया ऐसा है जो मध्य प्रदेश और यू० पी० दोनों के बार्डर को मिलाता है। वहां पर इतनी नदियां हैं, छोटे-छोटे नाले हैं जिन से काफी सिंचाई हो सकती है, लेकिन आपस के झगड़े के कारण न वहां पर नहरें बन पाईं और न डैम बन पाया--इस लिये मेरा ऐसा विश्वास है कि वहां के जन प्रतिनिधियों को रख कर ही इस मसले को हल करना चाहिये ताकि कोई क्षेत्र उपेक्षित न रह जाय।

दूसरी बात—जैसा अभी तक माता-टीला डैम के पावर हाउस के बारे में होता रहा है—वहां पावर तैयार होती रही लेकिन उस क्षेत्र की उपेक्षा कर के दूसरे क्षेत्र को दी जाती रही। मैं यह नहीं कहता हूं कि दूसरों को न दी जाय, लेकिन जिस क्षेत्र में पैदा हुई है, उस की उपेक्षा न की जाय और यह तभी सम्भव है कि जब कि वहां पर जन-प्रतिनिधि हों। अभी तक वहां ब्यूरोक्रेसी के अनुसार कार्य होता रहा जिस का परिणाम यह निकला है कि यह भावना पैदा हुई कि हमारा क्षेत्र हर तरीके से उपेक्षित है। बेतवा रिवर बोर्ड जब पिछले वर्ष आया, उस समय भी यह आवाज उठी थी कि वहां के जन-प्रतिनिधियों को उस में रखा जाय।

इस का जो शडयूल है, उस को भी चेन्ज करना चाहिये—अगर आप इस को चेन्ज नहीं करेंगे तो एक लीगल लेकूना रह जायगा। इस लिये इस ओर भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय नायक जी से मेरी पूरी सहानुभूति है और टीकमगढ़ के इलाके से मेरी जानकारी है परन्तु शायद मैं उन्हें स्पष्ट नहीं कर पाया कि पानी कहां बंटेगा, यह इस बोर्ड के अधिकार के अन्दर नहीं है। शर्तों के अनुसार पानी रोक कर और कुछ दूरी पर ले जा कर आधा-आधा बंट जाएगा और उस पानी को राज्य सरकारें कहां ले जाएंगी, यह इस बोर्ड के फैसले की बात नहीं है।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो नहरें बनेंगी वे भी राज्य सरकारें अपने पैसे से बनाएंगी और उस में बोर्ड का पैसा नहीं लगेगा। बोर्ड तो बांध बना कर और पावर हाऊस बना कर कुछ दूर तक जहां पर राज्य सरकारों की सरहद नहीं है, पानी और बिजली पहुंचा देगी। इसलिए इस में झगड़ा होने की संभावना नहीं है। दोनों को पानी और बिजली बराबर बटेंगी। इस ओर जो ध्यान दिलाया कि विधायक और मेम्बर आफ़ पालियामेंट रखे जाऐंगे, तो झगड़े कम होंगे, यह तो सोचने का विषय है वैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई इस का सवाल नहीं उठेगा क्योंकि दोनों का अपना जो भाग है वह निश्चित है और अपने-अपने क्षेत्रों में पानी देने की जिम्मेदारी उन की होगी, नहरें बनाने की जिम्मेदारी उन की है। बोर्ड तो केवल बिजली और पानी महय्या कर देगा। मैं समझता हूं कि इस से काफ़ी सफ़ाई हो गई होगी। अब बिल को पास किया जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.